संख्या-66/2022/213ई/23-11-2022-1/2(126)/2021

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेतुओं/आर0ओ0बी0 फ्लाई ओवर, रिहैबिलिटेशन के निर्माण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी अध्ययन एवं परियोजना का गठन एवं क्रियान्वयन इत्यादि के लिए परामर्श लेने व पुराने सेतुओं का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार हेतु व्यवस्था योजना के चालू कार्यो पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-605/रेल उपरिगामी योजना (रिहैब्लिटेशन/चालू कार्य)/2021-22, दिनांक 22-03-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेतुओं/आर0ओ0बी0 फ्लाई ओवर, रिहैबिलिटेशन के निर्माण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी अध्ययन एवं परियोजना का गठन एवं क्रियान्वयन इत्यादि के लिए परामर्श लेने व पुराने सेतुओं का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार हेतु व्यवस्था योजना के 01 चालू कार्य पर अधोलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	नि0ख0-2 लो0नि0वि0 लखनऊ वास्ते सेतु निगम।	जनपद देवरिया में घाघरा नदी के तुरतीपार घाट पर निर्मित सेतु का कन्डीशन सर्वे कराते हुए रिपेयर, रिहैब्लिटेशन/स्ट्रेन्थिनिंग का कार्य।	499.13	200.00	**100.00**

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों एवं संगत शासनादेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य कार्य/मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सम्परीक्षित निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-39-सेतुओ/आर0ओ0बी0 फ्लाई ओवर, रिहैबिलिटेशन के निर्माण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु तकनीकी अध्ययन एवं परियोजना का गठन एवं क्रियान्वयन इत्यादि के लिए परामर्श लेने व पुराने सेतुओं का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-66/2022/213ई**(1)/23-11-202**2-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
10- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
11- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
13- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।